कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला भोपाल, मध्य प्रदेश

क्रमांक 1329 /एल.पी 222/29/नग्रानि/जिका/2007–08 भोपाल, दिनांक 5/6 2008

प्रति,

श्री सचिन भाई जी,
पुत्र श्री एसी भाई जी,
द्वारा मेसर्स फारच्यून बिल्डर्स,
157 जोन–1, एम. पी. नगर, भोपाल.

विषय :– संस्था की ग्राम भौंरी के भूमि खसरा कमांक 84/1/ग/2, 84/1/घ, 86/2 रकबा 4.05 हेक्टर भूमि के अनुमोदित अभिन्यास का स्थल पर सत्यापन बाबत ।

सन्दर्भ :– आपका पत्र भोपाल दिनांक 21.4.2008

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचित है कि ग्राम भौंरी के भूमि खसरा कमांक 84/1/ग/2, 84/1/घ, 86/2 रकबा 4.05 हेक्टर. भूमि के इस कार्यालय के पत्र कमांक 92 दिनांक 7.1.2008 द्वारा अनुमोदित अभिन्यास का स्थल पर सत्यापन पटवारी द्वारा आपकी उपस्थिति बतलाई गई संस्था की भूमि सीमा के अनुसार निम्न शर्तों के साथ किया जाता है ।

1. इस कार्यालय के पत्र कमांक 92 दिनांक 7.1.2008 में उल्लेखित अभिन्यास समस्त शर्तों के साथ यथावत रहेगा ।
2. खसरा भूमि की बाह्य सीमा व अन्य प्रकार का विवाद होने पर अनुमोदित अभिन्यास इस सत्यापन सहित निरस्त माना जावेगा ।
3. अपूर्ण भूखण्ड समायोजन के बाद पूर्ण होने पर ही मान्य किये जावेंगे जिसकी अनुमति इस कार्यालय से लेना अनिवार्य होगा ।
4. प्रस्तावित अभिन्यास में कमजोर आय वर्ग के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका /ग्राम पंचायत/ (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998/1999 के नियम 10(2)/नियम 10(4) के अनुसार ही 21.7 वर्गमीटर की कुल 42 आवासीय इकाई (भवन)उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा इसका अनुपालन संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका द्वारा सुनिश्चित कराया जावेगा ।
5. विकास अनुज्ञा सत्यापन के उपरांत नगर निगम, भोपाल से निर्माण कार्य के लिए नियमानुसार अनुमतियाँ प्राप्त की जाना आवश्यक होगा ।
6. शासन आदेश कमांक 186/32/98 दिनांक 23.1.1998 के अनुपालन में 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर के मान अनुसार भूखण्ड के वृक्षारोपण के अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा ।
7. प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा । अतः मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा ।
8. स्थल पर विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त करने के पश्चात ही किसी प्रकार का भवन निर्माण कार्य मान्य होगा ।
9. इस मानचित्र के आधार पर ही सदस्यों को भूखण्ड/भवन का पंजीयन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
10. संस्था को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 31 के प्रावधानों का पालन करना होगा तथा अपेंडिक्स 'ई' 'एफ' तथा 'जी' संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय सीमा में करना अनिवार्य होगा ।
11. इस मानचित्र को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे ।
12. एच.टी. लाईन, इलेक्ट्रिक लाईन के नीचे स्थित भूखण्ड मान्य नहीं होंगे इन पर भवन अनुज्ञा न दी जावे ।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर इस भूमि पर प्रदत्त विकास अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत रिवोक कर ली जावेगी ।

अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल

पृ.क्रमांक /नग्रानि/एल.पी 222/29 /2008 भोपाल, दिनांक 2008

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर जिला भोपाल को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. अधीक्षक, भू–अभिलेख परिवर्तित भूमि, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. वेब साईट/सर्वे कक्ष/अतिरिक्त प्रति ।

अपर संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल

चिन्हांकन मानचित्र

यह मानचित्र भूमि-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है

TYPE	PLOT SIZE (meter)	NO OF PLOTS	PLOT AREA	PLOT NO	DETAIL
A	12.2X19.0M	28	231.8 Sq m	A1-A10 A22-A39,	RESIDENTIAL
A	12.2X21.28	11	259.61 Sq m	A11-A21,	INTENDED MIX USE
A	19/16.22x12.2	1	214.848Sqm	A-40	RESIDENTIAL
A	16.22/9.99X24.4M	1	319.76 Sqm	A-41	RESIDENTIAL
B	10.6X16.74 M	9	177.44 Sq m	B2-B10	RESIDENTIAL
B	10.6X15.24 M	9	161.54 Sq m	B11-B19	RESIDENTIAL
B	10.41/11.76X16.74	1	185.56 Sq m	B1	RESIDENTIAL
B	11.76/13X15.24	1	189 Sq m	B20	RESIDENTIAL
C	9.15X19.0 M	41	173.85 Sq m	C2-C20 C23-C44	RESIDENTIAL
C	10.65/23.82X19	1	327.46Sq m	C1	RESIDENTIAL
C	10.94/21.95X19	1	312.45Sq m	C21	RESIDENTIAL
C	7.72/18.78X19	1	251.75Sq m	C22	RESIDENTIAL
C	10.3/23.18X19	1	318.06sq mt	C45	RESIDENTIAL
D	7.17/18.93X14.21	1	185.44sq mt	D1	RESIDENTIAL
D	14.21/14.81X9	1	130.59sq mt	D2	RESIDENTIAL
D	14.81X9	1	133.29sq mt	D3	RESIDENTIAL
D	14.81/15.03X9	1	134.28sq mt	D4	RESIDENTIAL
D	15.03/14.81X9	1	134.28sq mt	D5	RESIDENTIAL
D	14.81/14.59X9	1	132.3sq mt	D6	RESIDENTIAL
D	14.59/13.55X9	1	126.63sq mt	D7	RESIDENTIAL
D	13.55/12.93X9	1	119.16sq mt	D8	RESIDENTIAL
D	12.93/13.19X9	1	117.54sq mt	D9	RESIDENTIAL
D	13.19/13.86X9	1	121.72sq mt	D10	RESIDENTIAL
D	13.86/15.17X9	1	130.63sq mt	D11	RESIDENTIAL
D	15/15.17X8.89/12.85	1	160sq mt	D12	RESIDENTIAL
D	15/14.42X9	1	132.39sq mt	D13	RESIDENTIAL
D	14.42/14.24 X9	1	128.97sq mt	D14	RESIDENTIAL
D	14.24X9	1	128.16sq mt	D15	RESIDENTIAL
D	14.24/14.32X9	1	128.52sq mt	D16	RESIDENTIAL
D	14.32/14.54X9	1	129.87sq mt	D17	RESIDENTIAL
D	14.54/14.9X9	1	132.48sq mt	D18	RESIDENTIAL
D	14.9/15X9	1	134.55sq mt	D19	RESIDENTIAL
D	15/15.36X9	1	136.62sq mt	D20	RESIDENTIAL
D	15.36/15.34X9	1	138.15sq mt	D21	RESIDENTIAL
D	15.34/15.26X9	1	137.7sq mt	D22	RESIDENTIAL
D	15.26/14.58X9	1	134.28sq mt	D23	RESIDENTIAL

Additional Director
Town and Country Planning
M. P., BHOPAL

संयुक्त संचालक
जिला कार्यालय, भोपाल/सीहोर म.प्र.

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 92 दिनांक 7.1.2008 में उल्लेखित अभिन्यास समस्त शर्तों के साथ मान्य रहेगा ।
खसरा भूमि की बाह्य सीमा व अन्य प्रकार का विवाद होने पर अनुमोदित अभिन्यास इस सत्यापन सहित निरस्त माना जावेगा ।
अपूर्ण भूखण्ड समायोजन के बाद पूर्ण होने पर ही मान्य किये जावेंगे जिसकी अनुमति इस कार्यालय से लेना अनिवार्य होगा ।
प्रस्तावित अभिन्यास में कमजोर आय वर्ग के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका /ग्राम पंचायत/ (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम,1998/1999 के नियम 10(2)/नियम 10(4) के अनुसार ही 21.7 वर्गमीटर की कुल 42 आवासीय इकाई (भवन)उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा इसका अनुपालन संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका द्वारा सुनिश्चित कराया जावेगा ।
विकास अनुज्ञा सत्यापन के उपरांत नगर निगम,भोपाल से निर्माण कार्य के लिए नियमानुसार अनुमतियाँ प्राप्त की जाना आवश्यक होगा ।
शासन आदेश क्रमांक 186/32/96 दिनांक 23.1.1998 के अनुपालन में 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर के मान अनुसार भूखण्ड के वृक्षारोपण के अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा ।
प्रस्तावित स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा । अतः मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा ।
स्थल पर विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त करने के पश्चात ही किसी प्रकार का भवन निर्माण कार्य मान्य होगा ।
इस मानचित्र के आधार पर ही सदस्यों को भूखण्ड/भवन का पंजीयन किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
संस्था को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम,1984 के नियम 31 के प्रावधानों का पालन करना होगा तथा अपेक्षित 'ई' 'एफ' तथा 'जी' संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय सीमा में करना अनिवार्य होगा ।
इस मानचित्र को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे ।
एच.टी. लाईन,इलेक्ट्रिक लाईन के नीचे स्थित भूखण्ड मान्य नहीं होंगे इन पर भवन अनुज्ञा न दी जावे ।

यह मानचित्र इस कार्यालय के पत्र
क्रमांक..................दिनांक..............
का सहपत्र है ।

BREAK UP OF AREAS	
TOTAL AREA OF LAND	10.0Acres 40500.00sq m
OPEN / PARK	4053Sq m (10 %)
INFORMAL SECTOR	1029 Sq m (2.54 %)
ROAD	13345Sq m(32.95 %)
PLOTTABLE	21873 Sq m (54 %)
SERVICES	200 Sq m (0.50 %)

PROPOSED 4 LANE NARSINGHARH , INDORE BY - PASS

PROPOSED DEMARCATION PLAN OF KHASRA NO 84/1GA/2,84/1GHA, 86/2,VILLAGE BHAURI , P.H NO : 34,TEHSIL HUZUR , BHOPAL BELONGING TO Smt.NEETA MOHGAONKAR W/O Shri. AJAY MOHGAONKAR Smt. RITU GUPTA W/O Shri. SAMEER GUPTA , Shri. ASHOK PALOD S/O Shri RADHESHYAM JI PALOD & Shri. AZHAR FAHIM S/O Shri, ASGAR ALI FOR FORTUNE BUILDERS

COLONISER REGISTRATION NO : 55 re.dt25/3/2006

DIRECTION N

SCALE
LAYOUT PLAN 1:1000

OWNERS SIGNATURE

VASTU CONSULTANTS

E-7 /841,ARERA COLONY
BHOPAL

ARCHITECT
NEETA MOHGAONKAR

NEETA MOHGAONKAR
B. Arch
B.M.C. No. A-87,
CA/92/14539